भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1425

09.02.2026 को उत्तर के लिए

वन्यजीव और पशु संरक्षण पहल

1425. श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरीः

श्री पी. पी. चौधरी:

श्री केसिनेनी शिवनाथः

डॉ. राजेश मिश्राः

श्री भोजराज नागः

श्रीमती संजना जाटवः

श्री नव चरण माझीः

श्री चन्द्र प्रकाश जोशीः

श्री अभिमन्यु सेठीः

श्री अनन्त नायकः

श्री भरतसिहंजी शंकरजी डाभीः

डॉ. भोला सिंहः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं का संरक्षण और संबंधित प्रजाति-विशिष्ट कार्यक्रमों के अंतर्गत ओडिशा एवं राजस्थान, विशेषकर पाली लोक सभा क्षेत्र सहित राज्यों में किए गए उपायों सहित प्रमुख और लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यान्वित की गई प्रमुख पशु एवं वन्यजीव संरक्षण पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राज्यों सहित देश में चिहिनत प्राथमिकता वाले भू-क्षेत्रों में पर्यावास प्रबंधन, वन्यजीव गलियारों और मानव-वन्यजीव संघर्ष शमन का सृदृढ़ीकरण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं:

(ग) इसमें प्रौद्योगिकी, वैज्ञानिक निगरानी, जीआईएस/कैमरा ट्रैप के उपयोग और अन्य पहलों की भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने हाल में राज्यों में वन्यजीवों की संख्या और संरक्षण प्रभावशीलता के वर्तमान रुझानों का आकलन किया है और यदि हां, तो ओडिशा, राजस्थान और बुलंदशहर सहित देश में प्रजाति एवं भू-क्षेत्र के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सीधी जिले में सोन घड़ियाल अभयारण्य की स्थापना की तिथि क्या है तथा उक्त अभयारण्य की स्थापना के समय और वर्तमान में घड़ियालों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या घड़ियालों की संख्या कम हो जाने की स्थिति में शेष घड़ियालों को कहीं और स्थानांतरित करके घड़ियाल परियोजना को बंद करने का कोई प्रस्ताव है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) : वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 वन्यजीवों के संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन के लिए प्रावधान प्रदान करता है। यह अधिनियम जंगली जानवरों के शिकार को विनियमित करता है, अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व की घोषणा का प्रावधान करता है, और अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर दंड देने की व्यवस्था का भी प्रावधान करता है।

मंत्रालय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश शामिल हैं, 'वन्यजीव पर्यावास का विकास' और प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलीफेंट ', नामक केंद्र सरकार द्वारा प्रयोजित योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिनका उद्देश्य वन्यजीवों का संरक्षण एवं सुरक्षा और उनके पर्यावसों में सुधार करना है। यह वित्तीय सहायता संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना के अनुसार प्रदान की जाती है।

ये योजनाएँ जैसे आक्रामक प्रजातियों को हटाना, जलकूप बनाना, घास के मैदान का प्रबंधन, अग्नि-रेखाओं का रखरखाव, मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य, वन्यजीवों की निगरानी, अवैध प्रवेश का पता लगाने, मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन के लिए फील्ड में त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को सूचना देने वाली प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, और समुदायों को शामिल करने वाली पारिस्थितिक विकास कार्यकलाप के लिए अवैध शिकार निवारण शिविरों की स्थापना और रखरखाव, पेट्रोलिंग टीमों का संचालन, बेहतर वायरलेस संचार, वन्यजीवों की पशु चिकित्सा देखभाल, वन्यजीवों की निगरानी के लिए तकनीक का उपयोग जैसे कैमरा ट्रैप, ड्रोन, ई-सर्विलांस आदि कार्यकलापों का समर्थन करती हैं।

बाघ, हाथी, डॉल्फिन, आदि नामक प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण परियोजना मोड जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलीफेंट, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड और प्रोजेक्ट डॉल्फिन में कार्यान्वयन किया जाता है। एक प्रजाति-विशेष घटक के अंतर्गत, 'गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए पुर्नबहाली कार्यक्रम' के तहत, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को चिह्नित किया गया तथा गंभीर रूप से लुप्तप्राय 24 प्रजातियों पर केंद्रित संरक्षण कार्यवाही में सहायता प्रदान की जाती है। इस घटक के अंतर्गत समुद्री कछुओं के संरक्षण को भी समर्थन दिया जाता है।

जंगली जानवरों की जनसंख्या का आकलन समय-समय पर संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। चिह्नित प्रमुख प्रजातियों की जनसंख्या का आकलन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। पहली वैज्ञानिक जनसंख्या आकलन के अनुसार, हिम तेंदुए और नदी डॉल्फिन की संख्या क्रमशः 718 और 6327 दर्शाया गया है। वर्ष 2022 में किए गए अखिल भारतीय बाघ आकलन के अनुसार बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिसमें अनुमानित संख्या 3682 (सीमा: 3167-3925) है, जबकि वर्ष 2018 में यह संख्या 2967 (सीमा: 2603-3346) थी। इसके अतिरिक्त, भारत में तेंदुए की स्थिति -2022' रिपोर्ट के अनुसार, देश में तेंदुओं की जनसंख्या 13,874 (सीमा: 12,616-15,132) आंकी गई है, जबकि वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या 12,852 (सीमा: 12,172-13,535) थी।

इसके अतिरिक्त, वन्यजीवों की सुरक्षा, संवर्धन और विकास के उद्देश्य के लिए देश में संरक्षित क्षेत्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। वर्ष 2020 में 981 संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 921 थी जो बढ़कर वर्ष 2025 तक 1134 हो गई है। इस अवधि के दौरान टाइगर रिजर्व की संख्या 50 से बढ़कर 58 और एलीफेंट रिजर्व की संख्या 30 से बढ़कर 33 हो गई है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरणीय संपर्क बनाए रखने के लिए 32 टाइगर गलियारों और 150 एलीफेंट गलियारों की पहचान भी की गई है। राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, टाइगर रिजर्व और एलीफेंट रिजर्व के लिए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन (एमईई) का कार्य भी किया गया है, ताकि प्रबंधन की प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके।

(ड.) और (च) मंत्रालय में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने दिनांक 23 सितंबर 1981 की अधिसूचना के माध्यम से सोन घड़ियाल अभयारण्य को अधिसूचित किया था। दिनांक 03.03.2025 को आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक में घड़ियालों के संरक्षण और उनके अस्तित्व पर होने वाले खतरों से निपटने के लिए एक नई पहल को मंजूरी दी गई। इसके पश्चात, घड़ियाल को केंद्रीय केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना- 'वन्यजीव पर्यावास के विकास' के प्रजाति पुर्नबहाली कार्यक्रम घटक में भी शामिल किया गया।

****